

पटवारी रिपोर्ट  
 मान्य मुताबिक पत्रावली भू. अ. 454/433 में जर्ची का नाम अंबरलाल पुत्र किसना लाल पुत्र किसना दर्ज है। परन्तु जर्ची को के वास्तविक नाम अंबरलाल की जगह भागू व लाल की जगह लालसिंह है। अतः जर्ची को के अन्य डायग्रेम में भी नाम भागू व किसना व लालसिंह पुत्र किसना है। अतः जर्ची को के नाम डायग्रेम में बदलाव करना उचित होगा किशानों की विरासत के नाम संख्या 69 में भागू व लाला दर्ज किया गया था जिसके वर्तमान में भागू की जगह अंबरलाल व लाला की जगह लाला दर्ज है। अतः पुरस्ती कर भागू पुत्र किसना व लालासिंह पुत्र किसना पर किया जाना उचित होगा।

श्रीमानजी, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी तथा संपन्न आधार पर जर्ची की अनुसार खाता सं. 454 में खेतदार भागू का नाम कुछ कर लालसिंह किया जाना उचित होगा।  
 19/9/25

तहसीलदार की रिपोर्ट  
 भू. अ. अ. की जांच रिपोर्ट अनुसार इसका फल  
 की आशंका की जाती है।

14/9/25  
 शिविर प्रभारी  
 तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025  
 707

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

दिनांक:- 17-10-25

क्रमांक / 448

आदेश

उपरोक्त प्राथियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अगिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जांच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंषा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ननवड़ा तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2070-73 के खाता संख्या 454 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज का विवरण खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
	अंबरलाल पुत्र किसना	62	0.13	भागू पुत्र किसना	62	0.13
	लाल पुत्र किसना			लालसिंह पुत्र किसना		
	शेष अदखल			शेष अदखल		



क्रमांक:- 581 पत्रावली दिनांक:- 17-10-25  
 प्रतिलिपि:- 1. तहसीलदार नसीराबाद को  
 2. अर्पेदा पत्रावली को

प्रभारी अधिकारी एवं अगिलेख अधिकारी  
 नसीराबाद, जिला अजमेर